फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री बाबुलाल **विपक्षी : श्री फुलसिंह**

किस्म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 41/20**

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 21.11.2022

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर पूर्व में जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. का पेश कर प्रार्थीगण के आने जाने हेतु अन्य आराजीयात होना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1392/444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 1373/452, 1394/457 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 457 मी., 453, 444मी. में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थीगण के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 458 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म मगरी में से 0.14 बीघा भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिस पर अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा आपत्ति कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आने जाने हेतु आराजी नम्बर 457मी., 453, 444मी. के दक्षिणी भाग की भूमि पर पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता बना हुआ है, जिस पर तहसीलदार मावली से पुनः रिपोर्ट ली गई, जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा आराजी नम्बर 457मी. जिसके नवीन आ.न. 1510/457 बने है उसमें से 20 फीट का रास्ता जो प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात से मिला है जिसकी लम्बाई 164 मीटर क्षेत्रफल 0.0984 हेक्टेयर है जबकि बिलानाम आराजी नम्बर 458 मे से 20 फीट के रास्ते की लम्बाई 160 मीटर होकर क्षेत्रफल 0.0960 हेक्टेयर है। तहसीलदार मावली द्वारा न्यूनतम दूरी का रास्ता आराजी नम्बर 458 में से बताया हैं जो प्रार्थीगण के खेत तक जाता हैं। जिसकी डीएलसी दर 2,45,077/– प्रति बीघा के हिसाब से रास्ते की राशि 1,71,554/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता दिया जा रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म मंगरी दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा की आराजी नम्बर 1392/444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 1373/452, 1394/457 किता 10 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 458 मे से 0.14 बीघा (क्षेत्रफल 0.0960 हेक्टेयर) भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 20 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 2,45,077/– अक्षरे दौ लाख पैतालीस हजार सतहत्तर रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.14 बीघा (क्षेत्रफल 0.0960 हेक्टेयर) की कुल कीमत 1,71,554/– का दुगुना 3,43,108/– रूपयें तीन लाख तैयालीस हजार एक सौ आठ रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.12.17 13:26:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली